Through you, Sir, I would once again appeal to the Government of India and to the Prime Minister to see to it that this project is not allowed to go out of existence and that steps are taken to continue it-not at our cost, but it may be done under the same Indo-British Project. Therefore, no question of autonomy even is involved. The question why then this peculiar attitude is there baffles me. But, nevertheless, I would expect the Prime Minister to take an initiative in the matter and allow it to continue. Thank you.

Reservation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in different Universities

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा को क्रमबद्ध बनाने के लिये इस देश के अन्दर विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। देश की आजादी के बाद इस देश के अन्दर अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो बहुत समय से पिछड़े हुए थे उनको समाज में बराबर लाने के लिये कुछ विशेषाधिकार दिये गये थे। शिक्षा के स्तर पर और नौकरियों में ऊंचा उठाने के लिये उनके लिए पदों का आरक्षण किया गया था लेकिन आज आजादी के 40-45 वर्षों के बाद भी इस देश के अन्दर विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी, उसको लागू नहीं किया गया चाहे यूनिवर्सिटीज के अन्दर टीचिंग स्टाफ के पद हों या नान- टीचिंग स्टाफ के पद हों। इन पदों पर शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्स ट्राइब्स के लोगों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। इन विश्वविद्यालयों को हर वर्ष यूनीवर्सिटी ग्रांटस कमीशन द्वारा ग्रांट दी जाती है। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यूनीवर्सिटी ग्रांटस कमीशन को यह निर्देश दें कि जो भी यूनीवर्सिटी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्डस ट्राइब्स के अधिकारों का पालन नहीं कर रही है, उनकी ग्रांट रोक दी जाए। मैं आपके सामने राजस्थान विश्वविद्यालय का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार इस सदन के अन्दर, तीन बार इस सदन के अन्दर यह बात उठाई है कि लेकिन इस सदन के अन्दर मेरा बोलना केवल बोलने तक ही सीमित रहा। इसके आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान यूनीवर्सिटी के अन्दर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के जो रिक्त पद थे उनके अगेंस्ट जाकर वहां के अधिकारियों ने सामान्य वर्ग के लोगों को अस्थाई रूप से नियुक्तियां कर दीं। इस बात को लेकर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कर्मचारी संघ की ओर से एक अपील हाई कोर्ट के अन्दर दायर की है कि जो हमारे वर्ग के लिए आरक्षित हैं उनको हमारे वर्ग के योग्य लोगों द्वारा भरा जाए न कि सामान्य वर्ग के लोगों से। हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ उसमें विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया गया कि जितनी जल्दी हो शीघ्रातिशीघ्र इन पोस्टों से सामान्य वर्ग के लोगों को हटाकर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लगाएं लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोई कार्यवाही नहीं की, उस फैसले का कोई पालन नहीं किया बल्कि सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को एक और मौका दिया। यह 1990 की बात है। हमारे इस सदन के अन्दर जनता दल के कई लोग शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं लेकिन 1990 के अन्दर जो प्रशासन की व्यवस्था थी, जिन लोगों का राज था, उन लोगों ने इसकी अनदेखी की जिसका परिणाम आज तक शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भुगत रहे हैं। सामान्य वर्ग के लोग हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील ले कर गये लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे नहीं दिया, उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। इस बात को 6 महीने हो चुके हैं। तीन बार इंटरव्यू की डेट्स निश्चित की गई और तीनों बार इंटरव्यू स्थगित कर दिये गये। अभी तक उन लोगों को हटाया नहीं गया इसलिए

[मूलचन्द मीणा]

मैं चेयर से चाहता हूं कि आप शिक्षा मंत्री जी को निर्देश दें कि आप ऐसी यूनीवर्सिटीज के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही करें, क्यों नहीं ग्रांट को रोकें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जय हिन्द।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आपको श्री मीणा जी के साथ संबद्ध करता हूं और उसमें यह जोड़ना चाहता हूं कि मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है इसी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण के संबंध में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर और जब मैं बोलूं तो मीणा जी उसका समर्थन करेंगे और मेरे साथ मत करेंगे। मैं ऐसी आशा उनसे रखता हूं।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मीणा जी ने विशेष उल्लेख के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, मैं अपने आपको उससे संबद्ध करना चाहता हूं। जब हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो ऐसी स्थिति में हमें न्यायपालिका का सम्मान करना ही चाहिए। साथ ही साथ संविधान में जो व्यवस्था की गई

3.00P.M

है, उसका भी पालन होना चाहिए। बहुत आवश्यक है इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसे गम्भीरता के साथ लेते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि मीणा जी ने जो विशेष उल्लेख के माध्यम से इस प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उसका सरकार अक्षरशः पालन करे नहीं तो एक असंतोष जब उत्पन्न हो जाता है तो स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है। इसलिए उस असंतोष को समाप्त करने के लिए भी सरकार को जल्दी कदम उठाना चाहिए और निर्देश देना चाहिए उस विद्यालय को कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिये हैं उसका पालन अक्षरशः करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Shrimati Renuka Chowdhury-not here. Shri J. P. Mathur.

COMMUNAL BIAS IN TEXTBOOK—HINDUSTAN KI TAREEKH—PRESCRIBED FOR CLASS IX BY THE WEST BENGAL SECONDARY EDUCATION

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा स्वीकृत एक किताब की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस किताब का नाम है "हिन्दुस्तान की तारीख" जो कि वहां के कक्षा 9वीं के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन ने स्वीकृत की है। सबसे बड़ी आपत्ति मुझे यह है कि इस किताब में जो बच्चों को 9वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है, हमारे पूजनीय गुरू तेग बहादुर जी का अपमान किया गया है। उसके साथ शिवाजी और राणा प्रताप जैसे नेताओं के विषय में कहा गया है कि छोटे छोटे नेता थे लेकिन हिंदु उनको राष्ट्रीय वीर करके मानने लगे हैं। इसके साथ यह कहा गया है क्योंकि अकबर राजा ने डीइस्लामाईजेशन शुरू कर दिया था, हिंदुओं से दोस्ती की इसलिए हुकूमत गिरी। इसका अर्थ यह निकलता है कि हिंदुस्तान का भला तभी हो सकता है जब इसका इस्लामाइजशन हो। इस किताब के बारे में अखबारों में जो खबरें छपी हैं मैं कुछ वह थोड़े से उद्धरण आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इस किताब का नाम है "हिंदुस्तान की तारीख" लिखने वाले हैं मोहम्मद याकूब, 9वीं कक्षा में जो उर्दू माध्यम के स्कूल्स चलते हैं उनमें पढ़ाई जाती है और स्वीकार की गई है वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन से। वे कहते हैं :

"Akbar followed the wrong policy of improper generosity towards Hindus."

आगे कहते

"Ruling this "negation of religion,' the book maintains that this "had such a far-reaching consequence that Hindus and Muslims came together and no difference was left between faith (IMAAN) and heresy (KUFR)."